उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2016 ई०

सं० F9(21)(V)/RG/UERC/2016/162–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(zp) सपठित धारा 86(1)(e) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन विनियम, 2013 (मुख्य विनियम) और उस में किये गये पश्चात्वर्ती संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन :

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) (पंचम संशोधन) विनियम, 2016 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के विनियम 2(1) के प्रथम और द्वितीय परन्तुकों को निम्न लिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"बशर्ते पवन, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, रैनकिन चक्र पर आधारित बॉयोमास, गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं, सोलर पी०वी० कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी०वी०, सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं, ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और लघु सौर पी०वी० संयंत्रों, बॉयोमास गैसी फायर तथा बॉयोगैस, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और कूड़ा व्युत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना के मामलों में ये विनियम, इन विनियमों में विनियम 4 में विनिर्दिष्ट योग्यता मानदण्ड को पूरा करने की शर्त पर लागू होंगे।

बशर्ते आगे यह कि अध्याय 4 एवं 5 के विनियम इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व कमीशन्ड उत्पादक स्टेशनों के लिये लागू नहीं होंगे और विनियम 29(1), विनियम 30(2), विनियम 31(2) और विनियम 32(2) में विनिर्दिष्ट ईंधन लागत (परिवर्ती प्रभार) को छोड़कर वर्तमान शुल्क तदनुरुपी उत्पादक संयंत्रों पर लागू रहेंगे। तथापि, इन उत्पादक संयंत्रों को इस संबंध में सुसंगत विनियमों की प्रयोज्यता चाहने के लिये एक आवेदन करना होगा। तथापि, विनियम 15(1)(बी) में विनिर्दिष्ट सौर तापीय/पी०वी० उत्पाद स्टेशनों के लिये जेनेरेक शुल्क और उसके अतिरिक्त, 12 पैसा/यूनिट के मानकीय सतहीकृत शुल्क का प्रावधान इन विनियमों के प्रभावी होने से पूर्व कमीशन्ड स्टेशनों पर भी लागू रहेगा। अध्याय 4 और 5 के प्रावधानों को छोड़कर अन्य प्रावधान उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ऐसे अन्य उत्पादक स्टेशनों पर लागू होंगे जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित हैं, इनमें ऐसे गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन भी सम्मिलित है जो राज्य पारेषण और/या वितरण प्रणाली का उपभोग करते हुए वितरण अनुज्ञापी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को विद्युत पारेषित और/या आपूर्ति करते हैं।

3. मुख्य विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 2(3) को निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

'(3) इन विनियमों के अधीन सौर पी.वी., सौर तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये विनिर्दिष्ट सामान्य शुल्क, अधिकतम शुल्क होगा तथा वितरण अनुज्ञापी, इन उत्पादकों/विकासकर्ताओं से ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु उत्पादकों/विकासकर्ताओं से बोली आमंत्रित करेगा। वितरण अनुज्ञापी न्यूनतम शुल्क की बोली लगाने वाले उत्पादक/विकासकर्ता के साथ ऊर्जा क्रय करार करेगाः

परन्तु, योग्य सरकारी संगठन (MNRE द्वारा विनिर्दिष्ट) द्वारा कैनाल बैंक और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 संयंत्रों का क्रियान्वयन शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया द्वारा भी किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में शुल्क आधारित बोली प्रक्रिया द्वारा क्रियान्वित, इन संयंत्रों से ऊर्जा के विक्रय हेतु पी0पी0ए0 वितरण अनुज्ञापी के साथ ऐसे शुल्क पर हस्ताक्षरित किये जायेंगे जो L-1 बोलीदाता द्वारा उद्धरित किये गये शुल्क से 10% अधिक हों।

परन्तु, किसी भी मामले में वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा हेतु पी0पी0ए0, विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम शुल्क सीमा से अधिक शुल्क पर निष्पादित नहीं किया जायेगा।"

4. मुख्य विनियम के विनियम 3 का संशोधन :

4.1 विनियम 3(1)(v) के अधीन निम्नलिखित परिभाषा प्रतिस्थापित की जायेगी :–

"(v) "अन्तः संयोजन बिंदु" से सिवाय ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और लघु सौर पी0वी0 ऊर्जा परियोजनाओं के, सभी नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादक स्टेशनों के संबंध में, पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इन्टरफेस बिंदु अभिप्रेत होगा, जो कि जनरेटर ट्रांसफार्मर की एच0वी0 साईड पर बाहर जाने वाले फीडर पर लाईन आईसोलेटर होगा,

तथापि, ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और लघु सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में अन्तः संयोजन बिंदु से अनुज्ञापी के नेटवर्क के साथ नेट मीटरिंग व्यवस्था के अधीन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का इन्टरफेस अभिप्रेत होगा जो कि सामान्यतया वह बिंदु होगा जहां अनुज्ञापी और योग्य उपभोक्ता के मध्य ऊर्जा के अंतरण को नापने के लिये आयात निर्यात मीटर संस्थापित किया गया है।"

4.2 निम्नानुसार विनियम 3(1)(w) के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगी :–

"(w1) 'नगर पालिका ठोस अपशिष्ट' से औद्योगिक संकटमय अपशिष्ट को छोड़कर किन्तु उपचारित बॉयो–मेडिकल अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध–ठोस अवस्था में नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र में उत्पन्न व्यावसायिक और आवासीय अपशिष्ट अभिप्रेत और सम्मिलित है"

4.3 निम्नानुसार विनियम 3(1)(dd) के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगी :–

"(ee1) 'कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन' से ठोस अपशिष्ट के दहनशील अवयवों को सुखाकर, पत्थर पृथक कर, कतर कर, निर्जलीकृत कर और कॉम्पैक्ट कर उत्पादित गोली या रोयें के रुप में क्लोरिनेटेड प्लास्टिक से अन्यथा ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकृत दहनशील भाग अभिप्रेत है जिसे ईंधन के रुप में उपयोग में लाया जा सकता हो,"

4.4 निम्नानुसार विनियम 3(1)(ii) के पश्चात् निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जायेगी :–

"(ii1) 'कैनाल बैंक पर सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र' से कैनाल्स के किनारों पर संस्थापित सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत हैं।

(ii2) 'कैनाल टॉप पर सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र' से कैनाल्स के टॉप पर संस्थापित सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र अभिप्रेत है।"

4.5 विनियम 3(1)(nn) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(ii) बॉयोमास ऊर्जा परियोजना जिसमें नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) और कूड़ा व्युत्पादित ईंधन (RDF) आधारित रेनकिन चक्र के साथ ऊर्जा परियोजनाएं सम्मिलित हैं, — 20 वर्ष"

4.6 विनियम 3(1)(nn) (v) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"(v) सौर पी0वी0/सौर तापीय/ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप और कैनाल बैंक/कैनाल टॉप पर लघु सौर पी0वी0 संयंत्र/सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र, — 25 वर्ष

5. मुख्य विनियम के विनियम 4 में संशोधन :

5.1 मुख्य विनियमों के विनियम 4(2)(c) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं इस रुप में पढ़ा जायेगा :—

"(c) सौर पी0वी0, कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0, सौर तापीय और ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप तथा लघु सौर पी0वी0, ऊर्जा परियोजनाएं –MNRE द्वारा अनुमोदित प्रौद्योगिकी के आधार पर।"

5.2 मुख्य विनियमों के विनियम 4(2)(g) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

"(h) नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाएं—परियोजना, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिये तभी अर्ह होगी, यदि वह रेनकिन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र और यंत्र का उपयोग कर रही हो और ईंधन स्रोतों के रुप में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग कर रही हो।"

5.3 मुख्य विनियमों के विनियम 4(2)(h) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

"(i) कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाएं—परियोजना, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजना कहलाने के लिये तभी अर्ह होगी, यदि वह रेनकिन चक्र प्रौद्योगिकी पर आधारित नये संयंत्र और यंत्र का उपयोग कर रही है और ईंधन स्रोतों के रुप में कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन का उपयोग कर रही है।"

6. मुख्य विनियमों के विनियम 11 में संशोधन :

मुख्य विनियमों के विनियम 11(1) के प्रथम परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"बशर्ते, सौर पी.वी., कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0, सौर तापीय, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, कूड़ा व्युत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं और ग्रिड इन्टरेक्टिव रुफ टॉप तथा लघु सौर पी0वी0 परियोजनाओं की बेंचमार्क पूंजी लागत की आयोग द्वारा वार्षिक रुप से समीक्षा की जायेगी"

7. मुख्य विनियमों के विनियम 19 में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 19 के उप–विनियम (1) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सौर पी0वी0" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगेः—

"कैनाल बैंक व कैनाल टॉप सौर पी0वी0 "

मुख्य विनियम के विनियम 19 के उप विनियम (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "बॉयोमास ऊर्जा परियोजनाओं" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगेः—

"नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा परियोजनाओं, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन आधारित ऊर्जा परियोजनाओं"

8. मुख्य विनियमों के विनियम 33 के पश्चात् एक नया विनियम 33 (A) का जोड़ा जानाः

"33 (A) कैनाल बैंक सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र"

इन विनियमों के अधीन कैनाल बैंक सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्रों और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्रों के लिये मानक उन ग्रिड संयोजित पी0वी0 प्रणालियों हेतु लागू होंगे जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती हैं और प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदण्डों पर आधारित हैं। ऐसे ऊर्जा संयंत्रों हेतु सामान्य शुल्कों का अवधारण नीचे दिये गये अनुसार होगाः—

उप विनियम 1 (2) में उल्लिखित तिथि पर या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएँ

सौर पी0वी0 संयंत्र का प्रकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एण्ड एम व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक
	(₹ लाख/मेगावॉट)	(₹ लाख/मेगावॉट)	
कैनाल बैंक सौर पी0वी0 संयंत्र	6.85	11.63	19%
कैनाल टॉप सौर पी0वी0 संयंत्र	7.05	11.63	19%

9. मुख्य विनियमों के विनियम 36 के पश्चात् एक नये विनियम 36 (A) को जोड़ना:

"36 (A) नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाएं"

यहां नीचे शुल्क अवधारणा के लिए मानक उन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए है जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन का उपयोग करती है और जो रैनकिन चक्र प्रौद्योगिकी उपयोजन, दहन या भस्मीकरण, बॉयो मेथनेशन, पॉयरोलाइसिस और हाई एंड गैसीफायर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। पूंजी लागत, संयंत्र भार कारक, अनुषंगी उपभोग इत्यादि से संबंधित मानक नीचे लिखे अनुसार होंगे:–

उप विनियम 2(1) में उल्लिखित तिथि पर या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएँ:

परियोजना	पूंजी लागत (₹ लाख/मेगावॉट)	कमीशनिंग के वर्ष हेतु ओ एण्ड एम व्यय (₹ लाख/मेगावॉट)	सयंत्र भार कारक	अनुषंगी उपभोग	स्टेशन ताप दर Kcal/KWh	कैलोरिफिक मूल्य Kcal/Kg.
MSW	*1500*	*प्रथम वर्ष हेतु परियोजना का 6% और 5.72% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जायेगी*	*स्थिरीकरण व प्रथम वर्ष के दौरान 65%* *द्वितीय वर्ष से आगे 75%*	*15%*	*4200*	–
RDF	*900*	*प्रथम वर्ष हेतु परियोजना लागत का 6% और 5.72% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि की जायेगी*	*स्थिरीकरण व प्रथम वर्ष के दौरान 65%* *द्वितीय वर्ष से आगे 75%*	*15%*	*4200*	*2500*

नोट:–(a) *नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के लिये शुल्क के अवधारण हेतु किसी ईंधन लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।*

(b) *इन संशोधित विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् प्रथम वर्ष हेतु RDF ईंधन मूल्य (P) 1800/MT के रूप में लिया जायेगा जिसे 20%, 60% और 20% वरीयता के साथ क्रमशः ईंधन हैंडलिंग हेतु वार्षिक स्फीति दर (WPI), सूचनबद्ध ऊर्जा प्रभार घटक (ICR) और परिवहन लागत (हाई स्पीड डीज़ल हेतु कीमत : Pd) पर आधारित शुल्क अवधि में विभिन्न वर्षों हेतु निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार सूचनबद्ध किया जायेगा:*

$$(P(n)=P(n-1)*\{02.*(WPI(n)/WPI(n-1)+0.6*(1+IRC)(n-1)+0.2*(Pd(n)/Pd(n-1))\}$$

(c) *तथापि n वें वर्ष के सूचकांक चूंकि n वें वर्ष के अन्त में ही ज्ञात हो पायेंगे, अतः उत्पादक कंपनी को पिछले वर्ष की ईंधन लागत पर 5% के मानकीय वृद्धिकारक पर आधारित n वें वर्ष हेतु ईंधन लागत बिलों को जारी करने की अनुमति होगी जिसे n वें वर्ष हेतु वास्तविक सूचकांक के आधार पर समायोजित किया जायेगा।*

(d) *वैकल्पिक रूप से शुल्क अवधि के प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष हेतु प्रति वर्ष 5% का मानकीय वृद्धिकारक बॉयोमास परियोजना विकासकर्ता के विकल्प पर प्रयोज्य होगा:*

परन्तु उत्पादक कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञापी को मानकीय या सूचनबद्ध ईंधन लागत के लिए अपना विकल्प कमीशनिंग की तिथि से न्यूनतम तीन माह पूर्व या इन विनियमों के जारी होने की तिथि से एक माह पश्चात्, जो बाद में हो, पर देना होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प पी0पी0ए0 की वैधता अवधि के दौरान परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

n वें वर्ष हेतु शुल्क के ईंधन लागत घटक की संगणना निम्नानुसार की जायेगी:–

$$\text{परिवर्ती प्रभार की दर (रू0/केडब्ल्यूएच)वीसीएन} = \frac{\text{सकल स्टेशन ताप पर (जीएसएचआर)} \times \text{पीएन} \times 10}{\text{सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी)} \times (100-\text{एयूएक्स})}$$

10. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 का संशोधन:

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 का शीर्षक निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"प्रपत्र–2.1 प्रपत्र टेम्प्लेट के लिए (बॉयोमास ऊर्जा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन) मानदण्ड धारणायें।"

11. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.1 की 6वीं पंक्ति को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

धारणा शीर्ष	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष (2)	यूनिट	मूल्य
ईधन संबंधी धारणाएं	स्टेशन ताप दर	स्थिरीकरण के दौरान	Kcal/ KWh	
		स्थिरीकरण के पश्चात्	Kcal/ KWh	
	ईधन के प्रकार और मिश्रण	बॉयोमास ईधन प्रकार –1	%	
		बॉयोमास ईधन प्रकार –2	%	
		नगरपालिका ठोस अपशिष्ट ईधन	%	
		कूड़ा व्यूत्पादित ईधन	%	
		जीवाश्म ईधन (कोयला)	%	
		बॉयोमास ईधन प्रकार–1 का जी0सी0वी0	Kcal/Kg	
		बॉयोमास ईधन प्रकार–2 का जी0सी0वी0	Kcal/Kg.	
		जीवाश्म ईधन (कोयला) का जी0सी0वी0	Kcal/Kg.	
		बॉयोमास मूल्य (ईधन प्रकार–1): वर्ष–1	₹ /MT	
		बॉयोमास मूल्य (ईधन प्रकार –2): वर्ष–1	₹/MT	
		जीवाश्म ईधन मूल्य (कोयला): वर्ष–1	₹ /MT	
		ईधन मूल्य वृद्धिकारक	% प्रतिवर्ष	

12. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 का संशोधन :

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 का शीर्षक निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

" प्रपत्र– 2.2 प्रपत्र टेम्प्लेटः के लिये (बॉयोमास ऊर्जा, नगरीय ठोस अपशिष्ट, कूड़ा व्यूत्पादित ईधन या गैर–जीवाश्म ईधन आधारित सह–उत्पादन) शुल्क घटकों का अवधारण।"

13. मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 का संशोधनः

मुख्य विनियमों के परिशिष्ट के प्रपत्र 2.2 के "शुल्क घटक (परिवर्तित प्रभार)" हेतु सारणी निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की जाएगीः–

शुल्क घटक (परिवर्तित प्रभार)	यूनिट	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
बॉयोमास ईधन प्रकार –1	₹ लाख																																			
बॉयोमास ईधन प्रकार –2	₹ लाख																																			
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट	₹ लाख																																			
कूड़ा व्यूत्पादित ईधन	₹ लाख																																			
जीवाश्म ईधन (कोयला)	₹ लाख																																			
उप–योग (ईधन लागतें)	₹ लाख																																			
ऊर्जा पर विनियोज्य ईधन लागत	%																																			
कुल ईधन लागत	₹ लाख																																			

14. मुख्य विनियमों के संलग्नक–1 का संशोधनः

(i) मुख्य विनियम के संलग्नक –1 की कम सं0 2 के पश्चात् निम्नानुसार क्रम सं0 2 A जोड़ा जायेगाः–

"2 A" नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिये ₹/KWh में स्थिर प्रभार की स्तरीकृत दर (RFC) :

विवरण	नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभार की दर (₹/kWh)
सकल शुल्क	*7.10*
घटा करः त्वरित अवक्षय लाभ	*0.40*
शुद्ध शुल्क	*6.70*

(ii) मुख्य विनियम के संलग्नक–1 के क्रम सं0 2 के पश्चात् क्रम सं0 2B निम्नानुसार जोड़ी जायेगीः–

"2.3" कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन (RDF) आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के लिये ₹/kWh में स्थिर प्रभारों की स्तरीकृत दर (RFC)व परिवर्तित प्रभारः

विवरण	कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन (RDF) आधारित परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभार की दर (₹/kWh)
सकल शुल्क	*4.35*
घटा करः त्वरित अवक्षय लाभ	*0.25*
शुद्ध शुल्क	*4.10*

वर्ष	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
कूड़ा व्यूत्पादित ईंधन *(RDF):* वित्तीय वर्ष के रूप में वर्ष 1 हेतु परिवर्तित प्रभार की दर जिसमें 5% पश्चातवर्ती मानकीय वृद्धि के साथ विनियमों का पाँचवां संशोधन अधिसूचित किया जा रहा है।	*3.56*	*3.74*	*3.92*	*4.12*	*4.32*	*4.54*	*4.77*	*5.01*	*5.26*	*5.52*	*5.80*	*6.08*	*6.39*	*6.71*	*7.04*	*7.40*	*7.77*	*8.15*	*8.56*	*8.99*

(iii) मुख्य विनियमों के संलग्नक–1 के क्रम में सं0 6 के पश्चात् निम्नानुसार क्रम सं0 6A जोड़ा जायेगा :–

"6 A" कैनाल बैंक सौर पी0वी0 और कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा परियोजनाओं के लिये स्थिर प्रभार की स्तरीकृत दर (RFC):

विवरण	कैनाल बैंक सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र की दर (₹/kWh)	कैनाल टॉप सौर पी0वी0 ऊर्जा संयंत्र (₹/kWh)
सकल शुल्क	*7.35*	*8.45*
घटा करः त्वरित अवक्षय लाभ	*0.65*	*0.80*
शुद्ध शुल्क	*6.70*	*7.65*

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।